

M. A./M. Sc./M. Com.

[यथा सम्भव हिन्दो में ही फार्म करें]

बी. आर. अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
मास्टर ऑफ आर्ट्स/साइन्स/कॉमर्स की परीक्षा
Semester _____

M. A./M. Sc./M. Com. Exam

Semester I
Semester II
Semester III
Semester IV

जो अनपेक्षित हो उसे काट दें।

यह आवेदन-पत्र शुल्क परीक्षा संचालक के पास निश्चयित तिथि तक अवश्यक पहुँचाना चाहिए। जिनकी आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि तक नहीं पहुँचेगा, वे परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी नहीं होंगे।

सेवा में,

श्रीमान् परीक्षा संचालक,

बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

महोदय,

मैं बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय का सन् २०१९-२० की मास्टर ऑफ कला/विज्ञान/वाणिज्य की परीक्षा में बैठने की अनुमति आ प्रार्थी हूँ। परीक्षा शुल्क के एक सेट रुपये तथा अंक-पत्र के आठ सेट भेज रहा हूँ।

अंक ड्राफ्ट, क्राउ चैक, पोस्टल ऑर्डर अथवा मनोआर्डर द्वारा ही परीक्षा शुल्क भेजा जाय।

यथा

यापना यापानी

(अभिबन्धकर्ता अपना पूरा कृपापूर्वक विभागाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने ही करें)

नीचे का विवरण आवेदनकर्ता भरें।

- वर्तमान संख्या... वर्ष... बी. आर. ए. वि. विश्वविद्यालय,
- नाम (बड़े-बड़े अक्षरों में) हिन्दी में...
- नाम (बड़े-बड़े अक्षरों में) अंग्रेजी में...
- परीक्षा के विषय...
- ऐच्छिक पत्रों के नाम तथा गुण...
- एम. ए./एम. एस. सी./एम. कॉम Sem. I/II/III/IV वर्षों में छात्र संख्या तथा दिनांक पूरा होने का वर्ष (संख्या):-
(क) वर्षों में छात्र संख्या... (ख) वर्ष...
(ग) कालिज का नाम...
(क) जन्म तिथि...
नाम और पता—(क) पिता का...

(ख) अभिभावक का...

(ग) परीक्षा की भाषा (Script of Examination) —

- बेचलर परीक्षा पास करने का विवरण—केन्द्र... नामांकन... वर्ष...
बायिक/पूरक/कालिज का नाम...
विश्वविद्यालय का नाम...
ऐच्छिक विषय...

- यदि आपने Semester I परीक्षा पास की है, तो उसका पूर्ण विवरण है।—
केन्द्र... कालिज... वर्ष...
बायिक/पूरक/कालिज का नाम...
विश्वविद्यालय का नाम...
परीक्षा का विषय...

- यदि आपने एम. ए., एम. एस. सी., एम. कॉम Semester II परीक्षा में कभी बैठे हैं, तो उसका पूर्ण विवरण है।—

Bleat
27.7.19

फोटो (Photo)

परीक्षा देनेवाले हर एक परीक्षार्थी को हाल ही में ली हुई अपनी फोटो की तसवीरें चाहिए जो वे प्रतियां देनी होंगी। इनके ऊपर परीक्षार्थी का नाम लिखा होना चाहिए और उसे प्रेषक अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय का मुहर के साथ प्रमाणित होना चाहिए। एक छोटी इवेंट-पत्र पर जोर दूसरा इसी को छोड़ स्थान में चिपकाई जानी चाहिए।

१२. यदि आपने Semester II की परीक्षा पास की है तो उसका पूर्ण विवरण दें।—

केन्द्र नामांक वर्ष

१३. यदि आप Semester III की परीक्षा पास की है तो पूर्ण विवरण दें।

केन्द्र क्रमांक वर्ष

कॉलेज का नाम

विश्वविद्यालय का नाम

परीक्षा का विषय वर्ष

तब रोल नम्बर वर्ष

१४. यदि आप सफल छात्र के रूप में बैठने या रहे हों तो निम्नलिखित विवरण दें।—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा मिली अनुमति पत्र की संख्या
 जारीत

१५. यदि आप किसी कॉलेज के प्राचार्य/प्रिंसिपल/कर्मचारी अथवा बिहार विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में हैं तो उनका नाम और पूरा पता दें।

नाम

पता

... ..

सम्बन्ध के साथ कोर सा सम्बन्ध है

प्रमाण-पत्र (CERTIFICATE)

(Regulation) २१ अध्याय २ के अनुसार विद्वत परीषद् द्वारा २५ नवम्बर, १९५५ को स्वीकृत।
 ऑस्ट्रेलिया के निवृत्त (ऑस्ट्रेलिया) छात्रों के लिए

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ~~उन्होंने~~ ने मेरे सामने बिहार विश्वविद्यालय/... .. विश्वविद्यालय/... .. द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र उपस्थित करके मुझे परीपुष्ट कर दिया है कि वे बिहार विश्वविद्यालय/... .. विश्वविद्यालय की बेंचमर ऑफ आर्ट्स/साइन्स/कॉमर्स परीक्षा या विद्वत परिषद् द्वारा मान्य इसकी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अथवा उन्होंने एक या अधिक संवत् कालेजों में नियमित रूप से अध्ययन कर, मास्टर ऑफ आर्ट्स/साइन्स/कॉमर्स Semester I/II/III/IV परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है, और जहाँ कि सम्भव (प्रैक्टिकल) परीक्षा का विधान है वहाँ अपने सारे अध्ययन को निर्धारित प्रयोगों को भी सुयोग्य निर्वहन में समुचित रूप से सम्पन्न किया है। इनका आचरण अच्छा रहा है। उन्होंने नियमित रूप से और अध्ययनपूर्वक अध्ययन किया है अथवा परिणामों (रिजल्ट) में निदिष्ट कॉलेज का आवधिक (पी. एम. ए. एम.) अथवा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं और संतोषजनक रीति से उनमें उत्तीर्ण हुए हैं।]

तिथि
 27.7.19
 साइनेचर
 प्राचार्य

स्वतंत्र (प्राइवेट) परीक्षार्थियों के लिए

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक ने मेरे सामने बिहार विश्वविद्यालय/... .. विश्वविद्यालय/... .. द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र उपस्थित कर मुझे परीपुष्ट कर दिया है कि वे बिहार विश्वविद्यालय/... .. विश्वविद्यालय की बेंचमर ऑफ आर्ट्स/साइन्स/कॉमर्स परीक्षा विद्वत परिषद् द्वारा मान्य इसकी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अथवा उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्यालय के उस पत्र की मूल प्रति भी दिखाई है जिसके द्वारा उन्हें १९... .. की एम. ए. एम. ए. कॉम Semester I/II/III/IV परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मिली है, अथवा उन्होंने कॉलेज छोड़ने के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित उसकी प्रतिलिपि दिखाकर मुझे परीपुष्ट कर दिया है कि वे उक्त परीक्षा के सत्र (एकेडमिक सेशन) में कभी किसी कॉलेज के नियमित छात्र नहीं रहे हैं एवं उन्होंने स्वतंत्र परीक्षार्थियों के लिए आयोजित जांच (टेस्ट परीक्षा) में सफलता प्राप्त की है।]

विश्वविद्यालय के अनुमति-पत्र की तिथि तथा संख्या
 तिथि
 अध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग
 कॉलेज

नोट : यदि आप अनुसूचित जाति या फिर्का के हों अथवा अज्ञात जाति या फिर्का का नाम भी लिखें और दो फार्में भरें।
 जाति अथवा फिर्का का नाम

परीक्षा-निर्देशिकाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए दिशानिर्देश

(Guidelines for the Guidance of Examinees)

(The English version of the rules may be seen in the office of the Centre Superintendent)

१. परीक्षाओं पूर्व दिशित विधियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी।
२. यदि परीक्षार्थी जो, जो ऐसा बीमारो से ग्रस्त हो जिसके कारण उसकी उपस्थिति अन्य परीक्षाधियों के लिए आवश्यक हो सकेगी, परीक्षा-मकान में प्रवेश नहीं करने दिया जायगा तथा यदि वहाँ पाया जायगा तो उसे वहाँ से हटा दिया जायगा। परन्तु यदि अल्पकाल हो तो केंद्र अध्यक्षवाचक एक क्षण कमरे में उसकी परीक्षा लेने का प्रबंध कर सकते हैं।
३. परीक्षा-मकानों के द्वार परीक्षा के पहले दिन प्रथम-पत्र की परीक्षा आरम्भ होने के एक घण्टा पहले खोल दिए जायेंगे। के बाद प्रतिपत्र सत्र परीक्षा प्रारंभ होने के केवल १५ मिनट पहले खोले जायेंगे और परीक्षा आरम्भ होने के ३ मिनट पहले बंद कर दिये जायेंगे। विगत समय से जांच बंद तक बिलम्ब से आने पर भी परीक्षार्थी को परीक्षा से बैठने दिया जा सकता है।
४. आचारण्यः प्रत्येक विषय को पढ़ें परीक्षा हुआ करेगी।
५. परीक्षा का समय समाप्त हो जाने पर, अपना लिखना समाप्त करने पर परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका एक के प्रधाक विरीक्षक को देनी होगी। किसी भी दशा में उत्तर-पुस्तिका टेबल पर न छोड़ी जाय, और न उसे परीक्षा-मकान के बाहर ले जाया जाय।
६. जो उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक को एक बार सौंपी जा चुकी, वह किसी भी दशा में परीक्षार्थी को सौंपी नहीं जायगी।
७. प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए एक विद्विष्ट सीट का प्रबंध रहेगा, जिस पर उसके प्रवेश-पत्र में अंकित संख्या लि की रहेगी। परीक्षार्थी अपने विद्विष्ट स्थानों पर बैठेंगे। केंद्र अध्यक्षवाचक की अनुमति के बिना सीट बदलना नया है। अध्यक्षवाचक यदि सीट परिवर्तन की अनुमति दें तो उसी समय उसे विपियव कर दें और जारी परीक्षा समाप्त हो जाने पर इसकी सूचना परीक्षा विभाग से प्राप्त होगी।
८. जो परीक्षार्थी परीक्षा में दूसरे की सहायता करता या किसी प्रकार से अव्यवहार्यता लेने का चेष्टा करता हुआ अथवा परीक्षा से अनुचित लाभ के लिए कोई दूसरा अव्यवहार करता हुआ पाया जायगा, वह परीक्षा प्रथम से निष्काट दिया जायगा। परीक्षा के परिणामों को परस्पर किसी प्रकार से आचार-विधिवत का अधिकार न होय। परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम प्रवेश-पत्र, उत्तर पुस्तिका, प्रश्न-पत्र और शीट तथा वेदसर्वे नियम से विद्विष्ट उपकरणों के सिवा परीक्षाधियों को अपने पास परीक्षा कक्ष में जाता पुस्तक, किताबें, उधार का स्मृति-पत्र, गणक-बुक आदि या कोई भी अज्ञान कामज पत्र रखना वर्जित है, भले ही इनका इस्तेमाल उस समय की परीक्षा के लिए न हो। इनका इस्तेमाल करने वाले परीक्षाधियों को परीक्षा से निष्काट दिया जायगा।
९. जो परीक्षार्थी परीक्षा-मकान में अनेक उपायों का इस्तेमाल करते हुए पाये जाते अथवा अथवा उसका अन्वेषण होने पर अपने पास किसी कागज या सचुत को छुड़कर, पिटाकर, मिटाकर, या अन्य किसी प्रकार से नष्ट करने की चेष्टा करते पाये जायेंगे, उनके अन्वेषण से वह अवकाश थायवा कि उस समय की परीक्षा से सम्बन्धित अनेक कामज सनके पास से और अनुपचार उन्हें वर्जित किया जायगा।
१०. उत्तर लिखना आरम्भ करने के पहले प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए अपनी उत्तर-पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अपना केंद्र और वाणी का संशोधन संख्या लिखना आवश्यक है। परन्तु परीक्षार्थी को अपना अथवा अपने कालेज का नाम कदापि नहीं लिखना चाहिये। परीक्षा-लिखी को वेतावदी ही जाती है कि जिस उत्तर-पुस्तिका पर केंद्र, नामांक और संशोधन संख्या स्पष्ट रूप से लिखी न होनी उसे वांचा नहीं जा सकता है।
११. जो परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका को पहचान को असम्भव या अनु-साध्य बनाने की चेष्टा करेगा वह परीक्षा से हटा दिया जायगा।
१२. यदि कोई परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका में कोई अपचित्तजवक या अनुचित बात लिखने का अपराधी पाया जायगा या अवकाश परीक्षा विभाग में उचित कारवाई के लिए लेव दिया जायगा।
१३. प्रश्न-पत्र या सचुत पर कोई बुरी बात लिखना वर्जित है।
१४. परीक्षा-कक्ष से अलग-थलग तथा अपने प्रवेश-पत्र के सिवा और कोई कागज-पत्र बाहर ले जाया परीक्षाधियों के लिए वर्जित है।
१५. परीक्षा-कक्ष के प्रवेश-पत्र पर परीक्षार्थी के लिए अर्पित स्याव पर अपना हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।
१६. परीक्षाधियों को चाहिए कि वे उत्तर-पुस्तिका के पन्नों के दोनों पृष्ठों पर उत्तर लिखें। यदि वे चाहें तो आरम्भ या अन्त के कुछ-बोस (Rough work) के लिए प्रयोग कर सकते हैं किन्तु उत्तर-पुस्तिका को सौंपने के पहले इस पृष्ठों की लिखावट साफ कर उन्हें बोल दिए जायेंगे।
१७. प्रश्न-पत्र बंदने के बाद एक घण्टा तक किसी परीक्षार्थी को अपनी उत्तर-पुस्तिका वापस नहीं करके दी जायेगी।
१८. प्रधाक विरीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा समाप्त के पहले व तो कोई अपनी सीट ही छोड़ना और न परीक्षा कक्ष के बाहर हो जाना।
१९. परीक्षा-कक्ष से एक घण्टा बाहर हो जाने पर परीक्षाधियों को परीक्षा समाप्त तक कक्ष में रुकना ही वांचे दिया जायगा। पर अविचार्य व्यवस्था का पहले पर परीक्षार्थी, कक्ष-विरीक्षक की विशेष अनुमति से बोली देर के लिए बाहर जा सकता है, किन्तु वह जब एक घण्टा बाहर रहेगा उसकी विपदावी के लिए कक्ष-विरीक्षक द्वारा एक विस्तृत व्यक्ति तैयार रहेगा। परन्तु परीक्षा आरम्भ होने के एक घंटे के भीतर किसी परीक्षार्थी को वापसकाल के लिए भी बाहर जाने नहीं दिया जायगा। पर यदि जाना आवश्यक हो तो विपदावी की पूरी व्यवस्था कर केंद्र अध्यक्षवाचक करके जा सकते हैं।
२०. यदि कोई परीक्षार्थी कक्ष-विरीक्षक से कुछ पूछना चाहता हो तो उसे अपने स्थान पर चुपचाप सड़ा हो जाना चाहिये और कक्ष-विरीक्षक के वहाँ पहुँचने तक खड़ा खड़ा रहने। किसी भी दशा में उसे न तो अपना स्थान ही छोड़ना होगा और न कक्ष-विरीक्षक का आवाज सपली होकर बोलने के लिए किसी प्रकार का बोल ही बचाया होगा।
२१. परीक्षार्थी के मित्रों या अज्ञानियों को पहले दिन को छोड़कर और किसी दिन परीक्षा-कक्ष या प्रथम के बिकटवर्ती भागों में भी नहीं जाने दिया जायगा। पहले दिन भी परीक्षा-आरम्भ होने से आधा घंटा पहले उन्हें हट जाना पड़ेगा। दूसरे किसी दिन या पहले दिन के दोपहर में भी परीक्षा-कक्षों और पन्नों में अज्ञानियों के सिवा अन्य व्यक्तियों को जाना संयथा वर्जित है।
२२. प्रश्न-पत्र बंदने के समय के एक घण्टा पूर्व परीक्षा-कक्षों में अज्ञानियों को आना वर्जित है।
२३. प्रथम-पत्र की इस घंटी के बाद अर्थात् के भीतर परीक्षा-मकान या उसके बिकटवर्ती स्थानों में पाया जाने वाला कोई भी बाहरी व्यक्ति अनाधिकार प्रवेश का दोषी माना जायगा और उसे केंद्र निकाल दिया जायगा।
२४. कलम, मोच, पेन्सिल तथा गणित के उपकरण (कैल्कुलेटर इन्स्ट्रुमेंट्स) परीक्षार्थी स्वयं लायेंगे। काउन्सेलर के लिखना लिखनी नहीं, परन्तु सारी परीक्षा में आदि से अन्त तक उसमें एक ही प्रकार की शीटनाई का व्यवहार होना चाहिये।
२५. आचारण्य व्यवहार में आनेवाले गणित के या अन्य प्रकार के उपकरणों के प्रयोग की आवश्यकता होने पर, अनुमति ही वांचनी।
२६. प्रत्येक परीक्षार्थी को ऐसे उपकरणों को स्वयं ही ले जाना होगा। दूसरे परीक्षार्थी के उपकरणों का व्यवहार वर्जित है।
२७. आवश्यकता होने पर परीक्षा विभाग की ओर से कॉमन्सुल तथा प्राफ कागज दिये जायेंगे। अपना प्राफ कागज व्यवहार करना नया।
२८. इस विषयों में जा बात न जाना सकी हो उनके सम्बन्ध में केंद्र अध्यक्षवाचक आवश्यकतानुसार, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सः

अधिकार उसकी सूचना परीक्षा विभाग-को देय है।

२०२०/२०२० सी०/२०२०

M.A./M.SC./M.COM.

बी० आर० अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
प्रवेश-पत्र

फोटो(PHOTO)

नीचे के विवरण परीक्षार्थी भरें।

(TO BE FILLED UP BY THE CANDIDATE)

परीक्षा देनेवाले हर एक परीक्षार्थी को हाल ही में ली हुई अपनी फोटो का पासपोर्ट साइज की दो प्रतियाँ देनी होंगी। इसके ऊपर परीक्षार्थी का नाम लिखा होना चाहिए और उसे प्रेषक अधिकारी द्वारा उसके कार्यालय को भेजने के लिए प्रमाणित होना चाहिए। एक फोटो एक आवेदन-पत्र पर और दूसरी आवेदन-पत्र पर बीओर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

All candidates should produce two copies (Passport size of their recent photograph from the same negative) which should be duly attested by the forwarding authority. The attestation should be made on the body of the photograph which should bear the name of the candidate and the office stamp of the forwarding authority.

One copy of the photograph should be affixed on the admission card and the other on the application form in the space provided for it.

साल (Year)

१ रजिस्ट्रेशन संख्या [Registered No.] ----- वि.वि./ए.वि. -----

२ हिन्दी अक्षरों में नाम -----
[Name in Devanagri Script]

अंग्रेजी के छापे अक्षरों में नाम -----
[Name in English in BLOCK letters]

३ (क) परीक्षा का विषय -----
[Subjects of Examination]

(ख) ऐच्छिक पत्रों का नाम और ग्रूप
[Name of Group of Optional Subject]

प्रेषक अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनित किसी व्यक्ति के सामने ही हस्ताक्षर होना चाहिए।

[Name should be signed before the forwarding authority or a person authorised by him] ----- [Full Signature of the Candidate]

(नीचे के विवरण विश्वविद्यालय से भर जायेंगे)

इस परीक्षार्थी का केंद्र ----- नामांक ----- है। इन्हें तिथि -----

के आयोजित मास्टर ऑफ आर्ट्स/साइन्स/कॉमर्स Semester III/III/IV की परीक्षा में सम्मिलित होने हैं।

परीक्षा विभाग का सहकारी

प्रशाखा पदाधिकारी

परीक्षा-संचालक


१. कार्यालय में परीक्षाफल प्रकाशित होते ही परीक्षार्थी को उसके परीक्षाफल की सूचना तार या पोस्ट द्वारा भेजी जा सकती है, यदि इसके लिये पहले से ही शुल्क जमा कर दिया जाय। तार का शुल्क २) और डाक द्वारा सूचना का शुल्क १) है।

२. इस प्रवेश-पत्र के खो जाने पर अथवा नष्ट हो जाने पर, इसको प्रतिलिपि (Duplicate) प्राप्त करने के लिये २) शुल्क के साथ परीक्षा संचालक के पास आवेदन-पत्र भेजना चाहिए।

३. परीक्षाफल प्रकाशन के साधारणतः दस दिनों के भीतर ही अंक पत्र (Mark-Sheet) संस्था के अधिकारियों को भेज दिये जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ३०) शुल्क देकर विश्वविद्यालय से दुबारा अंक पत्र लिया जा सकता है।

४. परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र (Diploma) दोक्षान्त समारोह में दिया जा सकता है। इस बीच में आवश्यकता पड़ने पर परीक्षार्थी एक अस्थायी (Provisional Certificate) ले सकते हैं। इसके लिये ६०) २०) शुल्क के साथ परीक्षा-संचालक के पास आवेदन-पत्र भेजना चाहिए।

Bleat
22.7.19



M. A./M. Sc./M. Com., Semester I/II/III/IV

Babasaheb Bhimrao Ambedkar
Bihar University, Muzaffarpur
POST-GRADUATE DEPARTMENT
APPLICATION FORM

SESSION 201

PASSPORT SIZE PHOTO

1. I desire to join the Semester I/II/III/IV **ARTS/SCIENCE/COMMERCE** Class in

2. Post-Graduate Deptt. of..... (Subject)

I propose, while in the department to reside :-

With my parents or natural guardian

With a recognised local guardian

In one of the Post Graduate Hostels

Strike out the

lines which do not apply

Note with regard to Residence :- Every student not living with his parents or natural guardian must reside either in a P. G. Hostel or in a recognised Hostel or Mess or with a recognised local guardian. Any student who intends to live with a local guardian is advised to make the necessary arrangements (provisionally) at an early date as far as possible.

- 3. Name of Applicant - - - - -
- 4. Permanent Home Address - - - - -
- 5. Date of Birth (as recorded in Matriculation Certificate or Secondary Examination Certificate) - - - - -
- 6. Religion - - - - -
- 7. Nationality - - - - -
- 8. If OBC/MBC/SC/ST mention the caste - - - - -
- 9. Married or unmarried... - - - - -
- 10. Father's Name... - - - - -
- 11. Guardian's Name (if father is dead) - - - - -
- 12. Domicile of Father (or guardian, if father is dead) - - - - -
- 13. Occupation of Father (or guardian, if father is dead) ... - - - - -
- 14. Present Postal address of father (or guardian, if father is dead) ... - - - - -

No.

Pravat
27.7.19

Received the Application form for admission to M.A./M.Sc./M. Com., Semester I/II/III/IV

Date - - - - -

Receiving Officer